

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
===X===

क्रमांक 901/2344/82/नि-1/चार,
प्रति,

घोपाल, दिनांक 12 जुलाई, 1982

शासन के सप्ले विभाग,
मध्यप्रदेश सरकार, मण्डल,
सप्ले संचालीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त विभागाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय: - वार्षिक वेतन वृद्धियों का समय पर भुगतान ।

शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कतिपय आहरण एवं संचालन अधिकारियों की यह धारणा है कि मूल नियम-24 के अंतर्गत वेतनमान में जो सामयिक वेतन वृद्धि सामान्यतः देय है उसकी कर्मचारी को प्राप्ति तब तक नहीं होती जब तक कि उसके पास में मध्यप्रदेश कोष सचिवालय के सहायक नियम 264 के अंतर्गत "इन्क्रिमेंट सर्टिफिकेट" जारी नहीं कर दिया जाता ।

2/ मूल नियम -24 के प्रावधान निम्न प्रकार है :-

"An increment shall ordinarily be drawn as a matter of course unless it is withheld. An increment may be withheld from a Government Servant by a local Government or by any authority to whom the local Government may delegate this power under rule 6, if his conduct has not been good or his work has not been satisfactory. In ordering the withholding of an increment, the withholding authority shall state the period for which it is withheld and whether the postponement shall have the effect of postponing future increments."

4/ जहाँ तक वेतनमान में अग्रेवारी दस्तावेज के अंगे वेतन वृद्धि किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के सामन क्रमांक 731/बी०धार० 733/1(3)72, दिनांक 5-12-72 एवं क्रमांक डी 259/425/1(3), दिनांक 11-4-74 में निम्नलिखित निर्देशों की ओर पुनः ध्यान आकृषित किया जाता है ।

संलग्न :- 1 प्रपत्र

हस्ता/-

(अशा धत्तागार)

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.

बीकानेर, दिनांक 12 जुलाई, 1982.

पुनःसंज्ञक क्रमांक 912/2344/82/नि-1/चार, प्रतिनिधि :-

सचिव/ वैयक्तिक सचिव, राज्यपाल महोदय, मध्यप्रदेश, बीकानेर ।

सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर ।

निर्वाहक, भारत मुद्रण एवं वेतन सामग्री, मध्यप्रदेश, बीकानेर ।

राज्य सरकार का आसुत, मध्यप्रदेश, बीकानेर ।

अवर सचिव (स्थाना) मध्यप्रदेश सचिवालय, बीकानेर ।

अवर सचिव (वर्गीकरण) मध्यप्रदेश सचिवालय, बीकानेर ।

वैयक्तिक सचिव, मध्यप्रदेश सचिवालय, बीकानेर ।

समाप्त वित्त सचिव/अधीनकारी/लेखालय अधिकारी,

मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं मार्गदर्शन के लिये अग्रेषित ।

2/ महोदय, मध्यप्रदेश खादिसार/बीकानेर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

3/ सचिव, विधान सभा सचिवालय, बीकानेर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

4/ निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

हस्ता/-

(डी० नारायणी)

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.

:: सत्यातिरिपि ::

2/12/82 1583

(शशिदांत सक्सेना)

अधीनकारी